<u>अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति छात्रवृत्ति योजना</u>

1:– कक्षा 1 से 5 तक छात्रवृति

कक्षा 1 से 5 तक के अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्र/छात्राओं को 25 रूपये मासिक दर से धनराशि प्रदान की जाती है। जो एक मुश्त वर्ष भर की 300 रूपये दी जाती है। वर्तमान में नवीन पंचायती राज व्यवस्था के अनुसार उक्त योजना की धनराशि ग्राम निधि खाते हस्तान्तरित करने का प्राविधान है। छात्रवृति हेतु अनुसूचित जाति के छात्र का पंजीकरण होना आवश्यक है विद्यालय द्वारा स्वतः छात्र का आवेदन भरवाया जाता है। ग्राम पंचायत की शिक्षा समिति द्वारा स्वीकृति किया जाता है। उक्त सूची को विद्यालय द्वारा शिक्षा विभाग के माध्यम् से समाज कल्याण विभाग को धनराशि हेतु भेजा जाता है।

2:– कक्षा 6 से 8 तक छात्रवृति

कक्षा 6 से 8 तक के अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्र/छात्राओं को 40 रूपये मासिक प्रति छात्र की दर छात्रवृति प्रदान की जाती है। कक्षा 6 से 8 तक की छात्रवृति धनराशि भी ग्राम शिक्षा समिति द्वारा स्वीकृति व वितरण की कार्यवाही की जाती है। शहरी/नगरी क्षेत्रों में छात्रवृति स्वीकृति एवं वितरण की कार्यवाही संयुक्त रूप से प्रधानाचार्य व अनुसूचित जाति के सदस्य द्वारा किया जायेगा। छात्रवृति हेतु अनुसूचित जाति के छात्र का नाम विद्यालय मे पंजीकृत होना आवश्यक है। विद्यालय द्वारा स्वतः छात्र का आवेदन पत्र भरवाया जाता है। ग्राम पंचायत शिक्षा समिति द्वारा स्वीकृति किया जाता है। स्वीकृति सूची को विद्यालय द्वारा शिक्षा विभाग के माध्यम् से समाज कल्याण विभाग धनराशि हेतु भेजा जाता है।

3:– कक्षा 9 से 10 तक छात्रवृति

कक्षा 9 से 10 तक के अनुसूचित जाति के छात्र/छात्राओं का जिसके अभिभावक की वार्षिक आय 30,000 रूपया तक है को 60 रूपया प्रतिमाह की दर से वर्ष भर का 720 रूपया एक मुश्त धनराशि प्रदान की जाती है। विद्यालय द्वारा छात्रों के आवेदन पत्र जमा कराकर स्वीकृति किया जाता है, तत्पश्चात शिक्षा विभाग के माध्यम् से छात्रों की सूची समाज कल्याण विभाग धनराशि हेतु भेजी जाती है।

4:– दशमोत्तर कक्षाओं की छात्रवृति

दशमोत्तर कक्षाओं में अध्ययन करने वाले छात्र/छात्राओं जिनके अभिभावक की वार्षिक आय 33,400 रूपया है को कक्षा 11 से बी0ए0 प्रथम वर्ष तक 60 रूपये प्रतिमाह बी0ए0 द्वितीय वर्ष एवं तृतीय वर्ष हेतु 120 रूपये प्रतिमाह एवं स्नातकोत्तर कक्षाओं हेतु 190 रूपये प्रतिमाह की दर से प्रवेश से शिक्षा सत्र समाप्ति तक छात्रवृति दी जाती है। विद्यालय द्वारा छात्रों के आवेदन पत्र जमा कराकर स्वीकृति किया जाता है, तत्पश्चात शिक्षा विभाग के माध्यम् से छात्रों की सूची समाज कल्याण विभाग धनराशि हेतु भेजी जाती है।

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com